

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री गिरज महाराज एजूकेशनल एवं चेरीटेक्निक सोसाइटी, मथुरा
2. संस्था का पता : 5, आर्मी गार्डन, कृष्णनगर, मथुरा
फोन : 0565-2420449
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : संलग्न स्मृतिपत्र के अकितानुसार होंगे।
5. संस्था की सदस्यता, तथा सदस्यों के वर्ग :



जो सज्जन इस संस्था को एक भूश्त रु. 501/- दान स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल-चल सम्पत्ति देंगे, वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य बनाये जायें।

आजीवन सदस्य :

जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त रु. 10000/- दानस्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति स्वरूप देंगे, वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य :

जो सज्जन इस संस्था को रु. 250/- वार्षिक सदस्यता शुल्क या चंदा के रूप में दिया द्येंगे, वे इस संस्था के सामान्य सदस्य बनाये जायेंगे।

विशिष्ट सदस्य :

ऐसे सदस्य जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूल हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से राहगीय करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्यान हों, खरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का

प्रबन्धक पालन
श्री गिरज महाराज एजूकेशनल एवं
चेरीटेक्निक सोसाइटी
न० ५ आर्मी गार्डन
कृष्णनगर, मथुरा

बृजकला शुक्ल
Abhishek Shukla

G.P. शुक्ल
Aditya Shukla

विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे, उनकी रचेच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा, ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने का एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :

1. सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया धोखित हो जाने पर।
2. आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्ट करने पर।
3. किसी न्यायालय द्वारा दंड दिये जाने पर।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
6. किसी सदस्य के विरुद्ध $2/3$ बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
7. सदस्य द्वारा त्यागपत्र दियेजाने पर त उसे खट्टू होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः की समाप्त भानी जायेगी।

7. रांथा के अंग :

अ - साधारण सभा

ब - प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक :

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घन्टे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति :

Rishabh
प्रबन्धक/सचिव

नीतिगत प्रारंभिक एजेंसी
बरेट्ट इन सोसाइटी
पाठी

कुमार लोकेश शुक्ला
Kumaresh Shukla

S.P. Singh
अधिकारी शुक्ला



गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपरिथिति का कोरम होगा।

विशेष वाणिक अधिवेशन :

संस्था का विशेष वाणिक अधिवेशन प्रतिवर्ष हुआ करेगा जिसकी प्रति प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से तथा की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :

1. प्रबन्ध समिति का समय-समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के वार्षिक आय-व्यय बजट आदि व्यापिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना व उन्हें स्वीकृत करना।
3. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति : अ: गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से, सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/²²सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोएव्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

ब: बैठक :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक को दर्श में 2 तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

स: सूचना अवधि:

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना

लूपलोलाईडला
1. 1. 1. 1. 1. 1.

G.P. Raval



सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व सूचना के किसी भी वर्षाच्छा
माध्यम से दी जायेगी।

द: गणपूर्ति :

गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों वाली उपरिथिति का कोरत्रय
होगा।

य: रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में कोई आवश्यक स्थान रिक्त हो
जाता है तो इस रिक्त स्थान को पूर्ति प्रबन्धसमिति
बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये
कर ली जायेगी।

र: प्रबन्धसमिति के अधिकार व कर्तव्य :

1. संस्था की उन्नति व विकास हेतु हरसामव्य प्रधास
करना व प्रस्ताव पास करना।
2. संस्था के नियमों-विधियमों में संशोधन, परिवर्तन,
परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से
करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों को
रूपरेखा तैयार करना।

ल: कार्यकाल

प्रबन्धकारिणी समिति वग कार्यकाल इ वार्ष का होगा।

10. पदाधिकारियों के : अध्यक्ष :

अध्यक्ष

Sharma

अध्यक्ष पदाधिकारी बैठक समिति

प्रमोटर

प्रतिपादक

प्रतिपादक समिति
प्रवेदित सोसाइटी
५ बाजी गाडी

अ: अध्यक्ष का मुख्य कार्य दैडकों की अध्यक्षता करना।

ब: मीटिंग बुलाना व रथगित करना, किसी निषेद्ध वा विवाह
मत की दशा में अपना निर्णायिक पत देना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्रस्तावित कार्य
करना व उपरिथिति में कार्यों में सहयोग करना।

लूपत्र/लाइनर
Delhi १५.१२.१२



- (१) संस्था के कोष के सम्बन्धित इकाइयां विनायक रखना।
 (२) संस्था के आद्य-व्याप्ति विवरण जौही रखना।
 (३) संस्था के पल-चल / दायर-प्राप्ति जौही लाभी ग्रहण करना।
 (४) संस्था की प्रक्रियाएँ द्वारा हस्तारक्षित जौही जा दूखतान क

अ: संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना,
 मीटिंग उलाना एवं उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना।

ब: संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका
 प्रचार-प्रसार करना, निधारण व नियमावली आदि
 बनाना।

स: संस्था की अचल-चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना,
 दान-अनुदान, चंदा सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, प्राप्त
 आय को संस्था के कोष में जमा करना;

द: संस्था के अन्तर्गत संचालित शेक्षण संस्थानों व विद्यालयों
 में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति,
 निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, वेतनभोगी
 कर्मचारियों का वेतन तय करना व उसका भुगतान
 करना।

इ: संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, त्रैज, अनुदान
 पत्रों, बैंकों, ड्राफ्टों, बच्चक विलेखों, विल-वाउचरों पर
 हस्ताक्षर करना।

र: संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य
 करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के
 विकास में सहायक हों।

उपप्रबन्धक/उपसचिव

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये
 सभी कार्यों को करना तथा उपरिधिति में सहयोग देना।

बृजबाला शुक्ला
 कम्पन्यक्ष

आडिटर

संस्था के आद्य-व्यय का प्रतिवर्ष ऑडिट करना।

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन
 साधारण सभा के 2/3 वहुमत से किया जायेगा।

Roshni

रोशनी एवं विनियम
 दिल्ली दिल्ली
 २०२२. ०९. ०१

बृजबाला शुक्ला G. P. Shukla

Ashutosh Shukla. Aditya Shukla

12. संस्था के कोष

: संस्था के कोष विशीर्ण राष्ट्रीयकृत वैक अथवा डाकघर द्वाता खोलकर रखा जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हरतात्मरों द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा : परीक्षण ऑडिट

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवधि राब्र की समाप्ति पर किसी योग्य ऑडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। यदि दुर्भाग्यवश संस्था पर कोई मुकदमा चलाता है तो मुकदमों की पैरती प्रबन्धक/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का सत्त्वरवाधित्व

संस्था के अभिलेख निम्न प्रकार के होंगे :

1. सदस्यता रजिस्टर

2. कार्यवाही रजिस्टर

3. लैजर कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर आदि

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निरतात्मण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट अधिविभाग की गारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख

दिनांक : 19-05-2008

सत्य प्रतिलिपि

अशुतश शुक्ला
Ashutosh Shukla

Ashutosh Shukla
Aditya Shukla

अशुतश शुक्ला

Rome

उप विषयक

प्राप्ति दर्शन द्वारा प्राप्ति

1/16/2008

प्रिलिपि
प्रबन्धक समिति
प्राप्ति दर्शन द्वारा प्राप्ति
वरीटाइल फोर्माइट
न० १ बामी गाडा
प्राप्ति दर्शन



Scanned with OKEN Scanner